

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांक :- एफ3/मु./याता./निरी./15/480

दिनांक:- 16/9/15

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के आदेश क्रमांक एफ3/मु./याता./निरी./15/473 दिनांक 03.09.2015 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि समय पालक शाखा(चालक/परिचालक) में पदस्थापित मुख्य समय पालक एवं सहायक समय पालकों को प्रत्येक 3 माह पश्चात अनिवार्य रूप से बदला जावे।

उक्त आदेशों के क्रम में आपका यह निर्देशित किया जाता है कि समय पालक शाखा में लगने वाले नये कार्मिकों को 15 दिवस पूर्व ही लगाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे वे समय पालक शाखा की कार्य विधि को समझ सकें एवं 15 दिन के प्रशिक्षण के पश्चात उनके द्वारा अधिकृत रूप से कार्य प्रारम्भ किया जा सके।



(राजेश यादव)


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक 16-9-15

क्रमांक :- एफ3/मु./याता./निरी./15/480

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष..... राज.परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. कार्यकारी प्रबन्धक..... राज.परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(यातायात/संचालन)/ समस्त यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक राज.परिवहन निगम, .....आगरा।
5. आदेश पत्रावली।



(राजेश राजोरिया)

कार्यकारी निदेशक(यातायात)